The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | July-September 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का एक अवलोकनः महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

अमिताभ भट्ट
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
एम.पी.जी. कॉलेज, मसूरी, देहरादून (उत्तराखण्ड)

ARTICLE DETAILS
Research Paper

Keywords :
महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरण सामाजिक–समरसता

ABSTRACT

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा को देखकर पता की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। भारतीय समाज में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में अधिक प्रभाव पड़ा, इससे गरीब महिलाएं अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण भारत विश्व के गरीब देशों में से एक है। समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही महत्व रखती है, जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु और भोजन। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समाज तक स्त्रियां उपेक्षा का शिकार रही है, उन्हें सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में कम से कम रखा गया है। इसी कारण महिलाओं की स्थिति अत्यंत नीचे स्तर पर है। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समाज में अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरुषों से काफी पीछे है। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। सामाजिक विकास महिला के सद्प्रयासों से ही संभव है। जिस समाज की महिलायें अपमान का शिकार होती है वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा के द्वारा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊंच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते है। यदि महिला अपने बच्चों में जाति–भेद और धर्म–भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे, तो इससे आगे चलकर वे एक ऐसा वृक्ष बनेंगे, जिसमें सामाजिक–समरसता से पूर्ण फल

लगेंगे। इस तरह एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास की बात करें, तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे। जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसे अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं। इन्होंने विद्या प्राप्त कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति उनकी विद्या थी लेकिन बाद में उनकी इस शक्ति को उनसे छीनी जाने लगी। धीरे–धीरे शिक्षा में विकास होने लगा, पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे जाने लगी है। भारत की घर की प्रत्येक महिला कुछ आय प्राप्त करने में लगी हुई है। इतनी महंगाई के युग में घर के पुरुष की आय ही नही बल्कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर आय के लिए कार्य कर रहे हैं। महिला शिक्षा के बढ़ते स्तर ने महिलाओं को कामकाजी होने की प्रेरणा दी है। महिलाएं कामकाजी हो गयी है। आज वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान पदों पर है। राजनीतिक सत्ता का क्षेत्र हो या आई.ए.एस. ऑफिसर, साहित्य का क्षेत्र या शिक्षिका, प्रोफेसर महिलाओं का विस्तार अनेक क्षेत्रों में हुआ है। आज समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे महिला नहीं कर सकती। कामकाजी महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह कार्य करना पड़ता है। इससे उन पर कार्य का बोझ बढ़ता है तथा साथ ही कार्यस्थल और परिवार दोनों में उनका कार्य प्रभावित होता है। कार्यस्थल में असुरक्षा जैसी अनेक समस्याओं से महिलायें जूझती है। अधिकांश महिलाओं के नौकरी का कारण आर्थिक विवशता है और अनेक महिलाएं अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी नौकरी करती है।

प्रस्तावना

आरक्षण अपने अधिकारों की एक ऐसी लड़ाई है, जो व्यक्ति को वे सभी अधिकार दिलाता है, जिनसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जब व्यक्ति को अपने विशेष अधिकार भी न मिले, तब आरक्षण की लड़ाई को शुरू किया जाता है।

समाज में व्यक्ति के साथ तीन प्रकार से भेदभाव किया जताा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्राों में समान रूप से समान अधिकार दिलाना है ओर किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में अधिकार का हनन न होने पाये। यह इसका मुख्य आधार है।

आरक्षण के द्वारा समाज में असमानता को समाप्त करके समतापूर्ण समान की स्थापना करना है। आरक्षण समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि देश के नागरिकों को सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण की नीति को विस्तारित किया गया है। आरक्षण भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है।

आरक्षण के द्वारा समाज में धर्म, लिंग, जाति वर्ग के भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें किसी तरह से भेदभाव न हो। भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व की मांग की थी।

आरक्षण सामाजिक गतिशीलता की वृद्धि करता है, उत्पीड़न एवं भेदभाव को खत्म करने तथा समान अवसर प्रदान करने में विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण है। आरक्षण समाज में समानता लाने का एक विशेष प्रयास है। आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों की दरिद्रता से बचाने में सहायक है। आरक्षण आर्थिक असमानता को घटाता है। आरक्षण शिक्षा के समान रूप में प्राप्ति का मुख्य साधन है।

वर्तमान में भारत में यदि हम आरक्षण के प्रकारों की बात करें तो आरक्षण दो प्रकार के है–

1. क्षैतिज आरक्षण।

2. ऊर्ध्वाधर आरक्षण।

यदि हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें, तो इसके अंतर्गत महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है।

संविधान की रचना करते हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि समाज का कोई भी वर्ग अपने आप को कमजोर या असुरक्षित महसूस न करे। तभी उन्होंने संविधान में आरक्षण की अवधारणा रखी। इसके अनुसार समाज में कमजोर वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं अन्य पिछडा वर्ग, दिव्यांग आदि को आरक्षण की सुविधा दी गई है।

आज समाज में सामान्य वर्ग के भी कई ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से परेशान है उन्हें वास्तविक आरक्षण की जरूरत है ऐसे नागरिकों का ध्यान रखते हुए सरकार ने आरक्षण का ध्यान रखते हुए सरकार ने आरक्षण का एक नया वर्ग प्रारम्भ किया जिसे ई.डब्ल्यू.एस. नाम दिया गया। इसका अर्थ है– आर्थिक कमजोर वर्ग।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं को धीरे–धीरे अनुभव हो गया कि समानता के बाद की वास्तविकता निर्विघ्न प्रक्रिया नहीं है। नवविजित स्वतंत्रता का सुख–बोध उतर गया, राजनीति का जटिल और जाति, भाषा, धर्म की विभिन्नता व पारिवारिक संरचना एवं सांस्कृतिक परंपरा की विभिन्नता में स्पष्ट हो

गया। भारतीय महिलाएं जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र की बाधाओं ओर इन मुद्दों के परिणामस्वरूप उत्पन्न जटिलता के प्रति जागरूक हो गयी है एवं इन समस्याओं का सामना करने का प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता संघर्ष की भागीदारी ने लिंग–भूमिकाओं पर किसी विवाद को जन्म नहीं दिया। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के संघर्ष को महिलाओं द्वारा आत्मसात्मीकरण प्राप्त हुआ, फिर भी शक्ति परिस्थिति तक पहुंचना आसान नहीं है।

1951 में अब तक महिलाएं राजनीति के औपचारिक माध्यम से ही भागीदारी करती रही है जैसे मतदाता एवं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, विविध चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के तौर पर विचार विमर्श व नीतियां बनाने में शामिल होने वाले विधायक व मंत्री के तौर पर। इसी अध्याय में हम बाद में इसका उल्लेख करेंगे कि केवल कुछ महिलाएं, ''निर्णय लेने की परिस्थिति' को अधिकृत करने में समर्थ है।

बहुत कम महिलाओं ने मंत्री की हैसियत से सत्ता के पद को अधिकृत किया। इंदिरा गांधी ने बहुत वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद को संभाला था। अधिकतर समय महिलाएं ''कम महत्व'' के विभागों को संभालती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास। वित्त, रक्षा और विदेशी मंत्रालय बिरले ही महिलाओं को आवंटित होते है।

महिला आरक्षण और बदलता परिवेश

ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हुये। जिसके परिणामस्वरूप पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल को संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति के 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से थे। लोकसभा के वरिष्ठ नेता नाथूराम मिर्धा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति द्वारा पंचायतीराज से संबंधित दी गयी रिपोर्ट को 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा तथा 23 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ।

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा तथा खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी। अनुच्छेद 246(बी)(i) के अनुसार ऐसे राज्यों को जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो माध्यम स्तर अर्थात् पंचायत समिति स्थापित करने या न करने की छूट प्रदान की गयी।

स्थानों का आरक्षण– 73वें संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में स्थानों के आरक्षण लागू होने के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये।

1. **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण**– पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. **आरक्षित स्थानों में परिवर्तन**– आरक्षित स्थानों में समय–समय पर परिवर्तन किया जायेगा।

3. **महिला के लिए आरक्षण–** सभी स्तर की पंचायतों के कुल स्थानों के 1/3 एक तिहाई के लिए आरक्षित किये जायेगे तथा यह आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों को प्रदान किये गये आरक्षण सहित होगा। अलग–अलग राज्यों में महिला प्रतिशत 50 या 60 प्रतिशत से अधिक है।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गये आरक्षित स्थानों में से 33 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित किये गये। इसी संशोधन के माध्यम से विभिन्न स्तरों की पंचायत संस्थानों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों की कुल संख्या का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के सहित होगा। राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा यह उपबन्ध कर सकता है कि अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित होगा।

महिला संगठनों द्वारा विधायिका में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की मांग की जा रही है। इन मांगों के प्रतिक्रिया स्वरूप संविधान में 84वां और 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कुल स्थान में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल है। यह प्रावधान पहले हुए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का विस्तार है, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्थानीय सरकार में चयनित निकायों में से एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया था।

आरक्षण की मांग

महिलाओं के लिए विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर स्थानीय, राज्य एवं केन्द्र में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग निरन्तर होती रही है। गाँवों में परम्पराएं और अनुदारवाद, परिवाद की पितृ–सत्तात्मक प्रकृति, शिक्षा का अभाव तथा सूचना और संचार व्यवस्थाएं उसकी शहरी महिला की तुलना में दूरी व वाह्य जगत के प्रति पर्याप्त परिचय का अभाव आदि के कारण ग्रामीण महिला अधिक शक्तिहीन और साधनहीन हुई है।

इस कारण पंचायती राज संस्थाओं में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को एक मात्र समाधान माना गया– सर्वोच्च स्तर पर महिला। यह भी अनुभव किया गया कि अगर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सार्थक बनाना है तो स्थानीय स्तर पर विभिन्न समितियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व भर देना पर्याप्त नहीं है। अधिक प्रभावशाली तरीका यह महसूस किया

गया कि गांव के सरपंच के रूप में महिला का स्थिति सुदृढ़ की जाए। इस प्रकार के पदों पर महिलाओं का रहना आवश्यक है क्योंकि इससे उन्हें जिला परिषद आदि उच्च संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि पंचायत के मुखिया के रूप में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बहुत कम उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में 1986 के विधेयक के द्वारा महिलाओं के लिए जिला परिषद एवं मण्डल परिषद के अध्यक्ष के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण रखा गया था। 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय योजना का गांव से जिला स्तर तक की विभिन्न संस्थाओं में 36 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा दी गयी थी।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिये एक–तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटे आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का चक्रण संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वर्तमान में 17वीं लोकसभा (2019–2024) के कुल सदस्यों में से 15 प्रतिशत महिलाएं है, जबकि राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में औसतन 9 प्रतिशत महिलाएं है।

कानून और न्याय पर स्थायी समिति द्वारा जांच की गई। दोनों समिति ने महिलाओं के लिये सीट आरक्षण के विचार का समर्थन किया। उनकी कुछ सिफारिशों में शामिल है–

- उचित समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिये आरक्षण पर विचार।
- बाद की समीक्षाओं के साथ 15 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षण लागू करना।
- राज्यसभा और राज्य विधानसभा परिषदों में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने की योजनाएं तैयार करनां

इस मुद्दे पर विभिन्न समितियां और उनकी रिपोर्ट–

- 1971 भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के जवाब में बनाया गया।
- पूर्ववर्ती शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित।

- इसने उन संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों की जांच की जिनका महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।
- इसने रिपोर्ट दी 'समानता की ओर' जिसके अनुसार 'भारतीय राज्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है।
- इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी।
- 1987 मार्गरेट अल्वा के अधीन समिति।
- वर्ष 1987 में सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में सदस्यीय समिति का गठन किया।
- वर्ष 1988 में समिति ने प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988–2000 प्रस्तुत की।
- समिति की 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण भी शामिल था।
- वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किये गये थे।
- यह महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का कार्य था। इसने पंचायती राज संस्थानो के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए (73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से) 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है।
- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेध, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रावधान शुरू करे।

पहला महिला आरक्षण विधेयक–

- 12 सितंबर, 1966 को भारत सरकार की 81वां संवैधानिक विधेयक पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 1/3 सीटों आरक्षित करने की मांग की गई।
- कई सांसदों, विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों ने विधेयक का विरोध किया।
- नजीजतन विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसद की प्रबर समिति।

गीता मुखर्जी समिति 1996–

- समिति में 21 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा में थे।
- महिलाओं के लिये सीटे SC/ST कोटा के अन्दर आरक्षित की गई थी लेकिन OBC महिलाओं के लिए ऐसा कोई लाभ नहीं था, OBC आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

- इसने सिफारिश की कि सरकार उचित समय पर OBC के लिए भी आरक्षण बनाने पर विचार करे।

महिलाओं की स्थिति पर 2013 समिति–

- 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसमें स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिस्तरीय स्तरों और सरकार के सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिये सीटों का कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई

महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति–

- विश्व आर्थिक मंत्र (WEF) की वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति की है, इस क्षेत्र में 25.3 प्रतिशत समानता हासिल की है।
- महिलाएं 15.1 प्रतिशत सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है, जो वर्ष 2006 में उद्घाटन रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है।

पंचायतों और शहरी निकायों में महिला आरक्षण की स्थिति–

- प्रारंभिक पहल–
  - वर्ष 1985 में कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये उप–कोटा के साथ मंडल प्रजा परिषद्दों में महिलाओं के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।
  - वर्ष 1987 में संयुक्त आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 9 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।
  - वर्ष 1991 में ओडिया ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।
  - वर्ष 1992 के संवैधानिक संशोधन ने इस आरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा दिया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत उप–कोटा निर्धारित किया।
- **73वां और 74वां संशोधन–**
  - वर्ष 1992 में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988–2000 की सिफारिशों के बाद, 73वां व 74वां संशोधन अधिनियम 1922 ने पंचायती राज संस्थानों (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 1/3 सीटें आरक्षित कर दी।
  - पंचायत 'स्थानीय सरकार' होने के नाते एक राज्य का विषय हे और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है।
- **50 प्रतिशत आरक्षण वाले राज्य–**

- ये राज्य है– उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
- गुजरात और केरल सहित इन 18 राज्यों ने पीआरआई में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान भी किये है।
- पीआरआई में महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात–उत्तराखंड (56.0 प्रतिशत), न्यूनतम–उत्तर प्रदेश (33.34 प्रतिशत)
- भारत में कुल प्रतिशत–45.61 प्रतिशत।

- **विभिन्न राज्यों में सेवाओं की महिला आरक्षण स्थिति–**
  - भारत में संविधान स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रोजगार में महिलाओं के लिये आरक्षण की अनुमति नहीं देता है इसके विपरीत अनुच्छेद 16(2) लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है।
  - इसलिये प्रसिद्ध इंद्रा मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के आधार पर, महिलाओं को केवल श्रैतिज आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर नहीं।
  - क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से हटकर लाभार्थियों की श्रेणियों जैसे महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किये गए समान अवसर से है।

विभिन्न राज्यों में सेवाओं में महिला आरक्षण की स्थिति–

- **उत्तराखंड**
  - वर्ष 2006 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में महिला उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया। यह आरक्षण विशेष रूप से राज्य निवासित महिलाओं के लिए सार्वजनिक रोजगार के लिये था।
  - अगस्त 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को अपने 16 वर्ष पुराने फैसले को जारी रखने की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने भारत में कहीं से भी महिलाओं के लिये कोटा प्रारम्भ किया था। जनवरी 2023 में सरकार फिर से आरक्षण के प्रावधानों को जारी रखने के लिये अध्यादेश लेकर आई।

- **कर्नाटक**
  - वर्ष 2022 में कर्नाटक सरकार को सभी विभागों में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण किया।

- सर्कुलर के मुताबिक, राज्य सरकार डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य ग्रेड–डी कर्मचारियों, ड्राइवरों की भर्ती आउट–सोर्सिंग के माध्यम से है।
- 33 प्रतिशत आरक्षण सभी स्वायंत्र निकायों, विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय और अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए लागू है।

- **पंजाब**
  - वर्ष 2020 में पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा, बोर्ड और निगमों के लिये सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।
  - वर्ष 2016 में राज्य कैबिनेट ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया।
  - इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया था।

अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- **शासन**
  - 1947 में आजादी के बाद से भारत में एक महिला प्रधानमंत्री और दो महिला राष्ट्रपति रही है।
  - देश में अब पन्द्रह महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है।
- **रक्षा और पुलिस**
  - मार्च 2023 तक भारतीय सेना में 6993 महिला अधिकारी थी, नौ सेना में 7481, चिकित्सा कर्मचारियों को छोड़कर, भारतीय वायु सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1636 थी।
  - देश में 201 मिलियन मजबूत पुलिस बल में महिलाएं केवल 11.7 प्रतिशत है।
- **कृषि**
  - 62.9 प्रतिशत महिला भागीदारी के साथ वर्ष 202 में कृषि में महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद विर्निर्माण क्षेत्र में 11.2 प्रतिशत महिलाएं है।
  - लाखों भारतीय महिलाएं घरेलू और दिहाड़ी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है।

- **ओबीसी का मुद्दा**
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत, संविधान लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राजनीतिक आरक्षण प्रदान नहीं करता है।
- **अधिनियम के साथ ओबीसी मुद्दा–**

- महिला आरक्षण अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है, ओबीसी सीटें आरक्षिण करता है, ओबीसी की महिलाओं के लिये कोटा शामिल नहीं है।
- ओबीसी जो आबादी का 41 प्रतिशत हिस्सा है (2011 की जनगणना के अनुसार) का लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में।
- 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत ओबीसी महिला आरक्षण होना चाहिए क्या?

- **पक्ष में तर्क**
  - ओबीसी महिलाओं को उनकी जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है।
  - ओबीसी महिलाएं विभिन्न सांस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों एवं क्षेत्रों के साथ देश की आबादी का एक बड़ी और विधिक वर्ग है।
  - ओबीसी महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है उन्हें आत्मविश्वास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

निष्कर्ष

आरक्षण अपने अधिकारों की एक ऐसी लड़ाई है, जो व्यक्ति को वे सभी अधिकार दिलाता है जिन अधिकारों के लिए उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आरक्षण के माध्यम से समाज के उस वर्ग को सशक्त किया जाता है, जिसके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरक्षण के द्वारा समाज से असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करने का प्रयास होता है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना है और आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन न हो, यह आरक्षण का मुख्य आधार है। आरक्षण समाज में समानता लाने का एक विशेष प्रयास है। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण प्राप्त है और भारतीय संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया– नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय कदम है। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक महिलाएँ राजनीति के औपचारिक माध्यम से ही भागीदारी करती रही है जैसे मतदाता और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन विविध चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के तौर पर, विचार–विमर्श व नीतियां बनाने मे शामिल होने वाले विधायक, सांसद व मंत्री के तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है।

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा को देखकर पता जी जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में वैसे तो समय के साथ परिवर्तन होता रहा है, किंतु फिर भी महिला पूर्ण रूप से सशक्त प्रतीत नहीं होती। समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु और भोजन। लेकिन फिर भी महिलाएं प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समाज तक उपेक्षा की शिकार रही है।

राजनैतिक प्रावधानों के तहत महिला सशक्तिकरण के उपाय संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किए गए। 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया गया। सरकारी प्रावधानों व विकास की प्रक्रिया ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। नारी समुदाय के प्रति समाज का दृष्टिकोण तेजी से बदला है। पिछले दशकों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय व तकनीकी के क्षेत्र में नारी के पर्दापण से देश की आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उसकी सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हुए है।

वर्तमान सरकार द्वारा अनेकों ऐसी योजनाओं और कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिनका केन्द्र बिन्दु नारी रही है। जहां एक समय में महिला को मंत्री के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय दिए जाते थे, वही आज देश ने रक्षा, वित्त एवं विदेश जैसी भारी–भरकम मंत्रालयों की बागडोर भी महिला के हाथ देखी है।

महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया बहुआयामी है और वह महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी नियति व अधिकारों को अपनाने में सक्षम करती है।

हम महिलाओं के चुनावी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 50 वर्षों के दौरान दिए गए सभी तर्कों को सामने रखे तो पाऐंगे कि यह बहस सामान्यतः उन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित रही है, जो अन्य संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर बहस में छाए रहे। भारतीय संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा व राज्य–विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं का निर्वाचन सुनिश्चितह ोगा, जिससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी और महिला समुदाय की समस्याएं भी महिला के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में निस्तारित की जा सकेगी और इसी के साथ ही राजनीतिक रूप से महिला भागीदारी होगा– नीति निर्माण की।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Article 243D (3). The Constitution of India

   https:// cdrbbsr 53 waar.gov.in/s3805370945c799978ccc

2. Article 243T (3). The Constitution of India

   https:// cdnbbsr 53 waar.gov.in/s380537945C7999788cc
   FedF/baab5d8F/uploads/2023/05/2023050/95.pdf

3. Article 330, The Constitution of India

https:// cdnbbsr SB waar.gov.in/53805379945C]999788CC F/b99bsd8F/uploads/2023/05/202050/95.pdf.

4. https:/www.dristi.com/hindi/to the-points/paper 2/women reservation-act,2023 women in politics

5. बैतील, आंडे (1998) डिस्ट्रीब्यूटिव जीस्टस व एन्स्टीटूवयनल वैल–बीडंग, गुरूपीत महाजन (सं0) कृत डिमोक्रेसी डिफरैन्स एंड सोजलजस्टिस में, यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

6. नानीवाडेकट मेघा (1977) इम्पांवरिंग वीमन : असैसिग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेन्स इन लोकल : मसैसिंग व पॉलिसी ऑफ रिजर्वेन्स इन लोकल बॉडीज ए रिपोर्ट रामआऊ माली प्रवेधिनी : मुम्बई।

7. बुच निर्मला (2003) जैनट, डेमोक्रसी व लोकल गवर्नेस ए स्टडी ऑफ द इलेक्ट्राल इन पंचायत इमजिम लीडरशिप इन मध्य प्रदेश, महिला चेतना मंच, भोपाल।

8- जॉन एम (1999) डेमोक्रसी प्रैटीमार्कीज एंड रिजर्वेन्स फोर वीमन, इंडियन जर्नल ऑफ स्टडीज, खंड 6, नं 1 जनवरी–जून